

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
योजना भवन, जयपुर।
Email : jdadmn.des@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एस्टे/डीईएस/पीएफ/मंत्रा/2016/2223

दिनांक: 09/09/19

कार्यालय-आदेश

चूंकि श्री रौनक जैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय ब्लाक सांख्यिकी अधिकारी पं. सं. पावटा, जयपुर के विरुद्ध विभाग में संचालित यंग इन्टर्न्स प्रोग्राम (YIP) के तहत इन्टर्नशिप के लिए आवेदको से धोखाधड़ी करके रूपये लेने के आरोप एवं कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार है।

अतः अब निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रौनक जैन, कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, बांसवाड़ा किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में इनको देय निर्वाह भत्ते के विषय में आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(डॉ० ओमप्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांक:एस्टे/डीईएस/पीएफ/मंत्रा/2016/2224-29

दिनांक: 09/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आ. एवं सां. निदेशालय।
2. उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, बांसवाड़ा (राज०)
4. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति पावटा, जयपुर।
4. श्री रौनक जैन, कनिष्ठ सहायक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पं. सं. पावटा, जयपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

(कुलदीप भटनागर)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)